उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-01/2023/466/23-8-2023-180सी0बी0/89

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023

कार्यालय - ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-90 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के निदेशक मण्डल में 'निदेशक' नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-129(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 का 'अध्यक्ष' नियुक्त किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक अवक्रमित समझे जायेंगे।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 को श्री राज्यपाल महोदय के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी(लोक निर्माण विभाग), उ0प्र0।

4- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/ उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

9- लोक निर्माण विभाग, सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

10- प्रभारी, डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in